न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 163/22

प्रार्थी :– प्रेमसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी साजियाली रूपजी कंठवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुमित्रा पुत्री अमीचंद
2. सरला पुत्री मांगीलालजी
3. संतोष पुत्री मांगीलालजी
4. श्यामसुन्दर पुत्र अमीचन्दजी
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र अमीचन्दजी
6. धर्मीदेवी बेवा अमीचन्दजी
7. प्रेम पुत्र मुकेशकुमार जरीये नाबालिंग कुदरती वी माता कौशल्या पत्नी मुकेशकुमार
8. कौशल्या पत्नी मुकेशकुमार
9. मदनलाल पुत्र हरीरामजी जातियान खारवाल निवासीयान पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)0
10. श्रीमति गीगूदेवी पत्नी मोहब्बतसिंहजी जाति राजपूत निवासी वार्ड संख्या 2, बालातरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (तर्क किया गया)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा जिला बाडमेर (राज0)

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :– 1 श्री दिलिप सिंह, प्रार्थी

2. विप्रार्थी संख्या 1 से 10 एकतरफा

3. विप्रार्थी संख्या 11 सरकारी पैरोकार

आदेश　　　　दिनांक :– 19.12.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन इस आशय [illegible] है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा [illegible] क्षेत्र साजियाली पदमसिंह भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली प[illegible] तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत [illegible]सरा संख्या 162/2 रकबा 14–00 बीघा, खसरा संख्या 164/100 रकबा 0–17 विस्वा किस्म बारानी सोयम भूमि में कृषि साधनो के उपयोग उपभोग व आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 की भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 219–02

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बीघा सरहद मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा की भूमि मे से 13 फीट चौडा रास्ता संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क ए से बी बरंग लाल प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित कराने का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थी[illegible] का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने व सुनवाई के पर्याप्तम अवसर के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली मे संलग्न खसरा संख्या 3 की जमाबंदी संवत् 2079–82 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी पक्षकार मे पुष्पा देवी पत्नी मांगीलाल को पक्षकार बनाया जबकि इनके द्वारा हक त्याग कर सुमित्रा पुत्री अमीचन्द के पक्ष मे किया जिसे विप्रार्थी पक्षकार नही बनाया गया । इस पर प्रार्थी वकील ने दिनांक 8.09.2022 को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी मय संशोधित शीर्षक किया । प्रार्थना पत्र को सुना गया स्वीकार कर विप्रार्थी संख्या – 1 पुष्पा पत्नी मांगीलाल के स्थान पर सुमित्रा पुत्री अमीचन्द को विप्रार्थी संख्या –1 को पत्रावली मे लिया गया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में भू.अ.नि. साजियाली पदमसिंह से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । भू.अ.नि. साजियाली पदमसिंह की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 प्राप्त हुई, के अनुसार सरहद मौजा साजियाली पदमसिंह के खेत खसरा संख्या 162/2 में आवागमन हेतु नजदीकी सुगम रस्ता संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है , जो खसरा संख्या 3 रकबा 219–02 बीघा मे से प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित उक्त रास्ते की लम्बाई 347 गटटा व चौडाई 2 गट्टा है, जिसका क्षेत्रफल 1–15 बीघा बनता है । प्रस्तावित खसरे तक आवागमन हेतु मौका फर्द अनुसार चिन्हित बरंग लाल प्रस्तावित भूमि जिसकी वर्तमान डी0एल0सी दर 34776–रूपये प्रति बीघा है। उक्त रास्ते हेतु कुल रकबा 1–15 बीघा भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, एवं [illegible] हराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया । भू0अ0 निरीक्षक साजि[illegible] रूपजी कंठवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार प्र[illegible] 162/2 रकबा 14–00 बीघा, किस्म बारानी सोयम भूमि के लिये कृ[illegible] साधनो के उपयोग–उपभोग व आवागमन हेतु मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 03 रकबा 219–02 बीघा भूमि में से प्रस्तावित रास्ता संलग्न मौका फर्द अनुसार परिशिष्ट 'ब' में चिन्हित बरंग लाल में दर्शाये माफिक चाहे गये रास्ता का रकबा 1–15 बीघा प्रस्तावित है,

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकि प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है, जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है, जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

सम्बन्धित पटवारी, भू.अ.निरीक्षक साजियाली पदमसिंह को सम्बन्धित रेकर्ड सहित तलब किया जिस पर भू.अ.नि. साजियाली उपस्थित आया, उक्त रास्ते बाबत जानकारी प्राप्त की गयी।

हमने प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस, उपस्थित भू.अ.नि. साजियाली पदमसिंह को सुना व पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसमे पाया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा के प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 162/2 रकबा 14–00 बीघा किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु भू0अ0 निरीक्षक साजियाली रूपजी कंठवाडा के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा में विप्रार्थीगण के खसरा नंबर 03 रकबा 219–02 बीघा भूमि किस्म बारानी सोयम भूमि में से रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न मौका फर्द अनुसार परिशिष्ट 'ब' में चिन्हित बरंग लाल में दर्शाये माफिक कुल रकबा 1–15 बीघा भूमि आवागमन के रास्ते हेतु घोषित की जाती है। प्रार्थी इस हेतु बतौर क्षतिपूर्ति डी.एल.सी रेट 34776/ – प्रति बीघा निर्धारित है, के अनुसार, नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति दुगनी राशि रूपये 121716/– रूपयें खसरा संख्या 3 के खातेदारान को भुगतान करें संबधित खातेदारान द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.06.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा व इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.29 15:05:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा